न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14 / 20119
प्रविष्टि दिनांक 22.04.2019

औकार पुत्र स्व.नारायण जाति भील निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक राज0
—अपीलान्ट

बनाम

1—मेवा पुत्र स्व. नारायण जाति भील निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक राज0
2—रमेश पुत्र स्व. नारायण जाति भील निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक राज0
3—मांगीलाल पुत्र स्व. नारायण जाति भील निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक राज0
4—कमलेश पुत्र स्व.नारायण जाति भील निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक राज0
5—मुकेश पुत्र स्व. नारायण जाति भील निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक राज0
6—सोना पुत्री स्व. नारायण जाति भील निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक राज0
7—तहसीलदार टोंक
—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 590 दिनांक 18.02.2011 वाके ग्राम बिठोला तहसीलदार टोंक

उपस्थिति —(1) श्री शिवराज टाण्डी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री ओमप्रकाश यादव,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता.5
(3) श्री दिनेश गुप्ता,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 6

निर्णय **दिनांक 18.01.2023**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 18.02.2011 को मृतक खातेदार नारायण पुत्र भूरा जाति भील निवासी बिठोला तहसील टोंक की विरासत का नामान्तरकरण सं0 590 दिनांक 18.02.2011 सें तस्दीक किया गया था,जिसमें मृतक नारायण के पुत्र का नाम औकार की जगह पप्पू (अपीलांट) का नाम अंकित करते हुए तस्दीक कर दिया जो विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई तथा प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार टोंक के द्वारा श्री नारायण पुत्र भूरा भील जो कि अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट्स के पिताजी थे का स्वर्गवास दिनाक 12.07.2009 को होने पर

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 57 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 63 रकबा 5 बीघा, 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा, एवं खसरा नम्बर 55 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 462 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 71 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बिठोला पटवार हल्का बिठोला जिनमें कि उनका हिस्सा 1/6 था, तथा भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम चूरिया तहसील टोंक जिनमें कि उनका 7/72 हिस्सा था, का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरण सख्या 590 भरा गया जिसमें अपीलान्ट का नाम औंकार के स्थान पर पप्पू अंकित करते हुए तहसीलदार जी के समक्ष पेश कर दिया गया जिसको तहसीलदार साहब टोंक ने अपने आदेश दिनांक 18.02.2011 को तस्दीक कर दिया गया है।पटवारी हल्का द्वारा नारायण पुत्र भूरा के फोत होने पर उसके वारिसान की जांच की गई थी,उसमें उनके वारिवसान की जांच तो सही की गई थी,परन्तु अपीलान्ट का नाम पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से पप्पू अंकित कर दिया गया,जबकि अपीलान्ट का नाम पप्पू नहीं होकर औंकार है।पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण भरने से पूर्व वारिसान के नामों की सही रूप से जांच नहीं कर उसे तस्दीक हेतु तहसीलदार साहब के समक्ष पेश कर दिया, जबकि पटवारी हल्का को नामान्तरकरण भरने से पूर्व नारायण के वारिस के नामों के बारे में गांव में पूछताछ करना चाहिए थी। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है।नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत से भी नारायण के वारिसान के नामो की कोई जांच नहीं की गई। अपीलांट के नाम से जो राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान के तहत जॉब कार्ड तथा बैंक खाता आदि सभी में अपीलान्ट का नाम औंकार अंकित हो रखा है। अतः नामान्तकरण को अपीलांट के नाम की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 6 ने जवाबी बहस में अपीलांट के कथन पर सहमति प्रदान कर अपीलांट के नाम की हद तक कोई आपत्ति नहीं की है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 590 दिनांक 18.02.2011 वाके ग्राम बिठोला तहसील टोंक में नारायण पुत्र भूरा जाति भील सा. देह खातेदार की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण नारायण के वारिसान मेवा,रमेश,मांगीलाल,कमलेश,पप्पू,मुकेश पिता नारायण,सोना पुत्री नारायण जाति भील हिस्सा 1/7 शेष अकंन जमाबंदी बदस्तूर सा.देह खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का नाम नामान्तकरण संख्या 590 मे औकार की जगह पप्पू अंकित हो गया है,जिसे औकार अंकित किया जावे। अपीलांट ने

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

साक्ष्य के रूप मे राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान के तहत जॉब कार्ड तथा बैंक खाता पास–बुक की प्रति पेश की है जिनमें अपीलान्ट का नाम औंकार अंकित हो रखा है। अपीलांट के कथन पर अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 6 ने भी अपीलांट के नाम की हद तक सहमति प्रदान की है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार टोंक द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 590 दिनांक 18.02.2011 वाके ग्राम बिठोला तहसील टोंक अपीलांट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक